

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215358
CG-DL-E-13012020-215358

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]
No. 144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ.154(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), भारत सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 10.02.2010 की अधिसूचना का.आ. 454 जो दिनांक 13.02.2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में “श्री गगनदीप सिंह, तहसीलदार, मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड में, प्रतिनियुक्ति पर, पंजाब” शब्दों के स्थान पर “श्री गगनदीप सिंह, जिला राजस्व अधिकारी, मोगा, पंजाब सरकार, अतिरिक्त कार्यभार आधार पर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल -14014/132/2019-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th January, 2020

S. O.154(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. 454 dated 10.02.2010 published in Gazette of India on 13.02.2010 namely:

In the said notification for the words “Shri Gagandeep Singh, Tehsildar, On deputation to M/s GAIL (India) Limited, Punjab” the words “Shri Gagandeep Singh, District Revenue Officer, Moga, Government of Punjab, on additional charge basis” shall be substituted.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/132/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.